Year-5 Volume: IV, October-December, 2023 Issue-20 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

9. अनुच्छेद 370 के समाप्त होने पर मीडिया का सामाजिक प्रभाव का अध्ययन

राम कुमार सिंह
शोधार्थी, पी.एचडी. जनसंचार विभाग
म.गाँ.अं.हि.विवि. वर्धा, महाराष्ट्र 442001
mj.ramsingh007@gmail.com
Mobile. 8709085690

सारांश

अनुच्छेद 370 के संबंध में मीडिया का प्रभाव बहुत गहरा है। मीडिया ने इस सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को जनमानस के सामने रखकर जगह-जगह से उच्च स्तर की चर्चा और विचारशीलता पैदा की है। यह आम जनता को इस निर्णय की सही समझ देने और अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम बन रहा है। मीडिया ने अनुच्छेद 370 के परिवर्तन को विभिन्न दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। वार्तालाप, डिबेट, और विश्लेषण के माध्यम से यह बताया गया है कि इस निर्णय के आसपास जुटे तर्क, विरोध, और समर्थन के मौद्रिक विकसित हो रहे हैं। साथ ही, सोशल मीडिया ने भी इस समर्थन और विरोध को और ज्यादा सकारात्मक और चर्चात्मक बनाया है, जिससे लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ इस विषय पर विचारविमर्श कर सकते हैं। हालांकि, इस प्रकार की मीडिया प्रवृत्तियों का एक परिणाम है कि समाज में मतभेद और विभाजन बढ़ सकता है। समृद्धि, सामाजिक समावेश, और राजनीतिक समझौते की दिशा में एक मजबूत सार्थक समझौता बनाने के लिए सामाजिक संगठनों, नेताओं, और मीडिया को साथ मिलकर काम करना होगा।

की – वर्ड : *अनुच्छेद 370, जम्मू – कश्मीर की स्थानीय समस्या, मीडिया का प्रभाव, सामाजिक बदलाव*

प्रस्तावना

जम्मू और कश्मीर, जो कश्मीर के व्यापक क्षेत्र का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है और 1947 से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच संघर्ष का विषय रहा है, को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था।अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को एक अलग संविधान, एक राज्य ध्वज और आंतरिक प्रशासनिक स्वायत्तता रखने का अधिकार दिया, जबकि यह 1952 से 31 अक्टूबर 2019 तक एक राज्य के रूप में भारत द्वारा शासित था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली थी,अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करता था। संविधान के 21वें भाग में अनुच्छेद के बारे में परिचयात्मक बात कही गयी थी- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को, इसकी स्थापना के बाद, भारतीय

Year-5 Volume: IV, October-December, 2023 Issue-20 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

संविधान के उन लेखों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था जिन्हें राज्य में लागू किया जाना चाहिए या अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से निरस्त करना चाहिए। बाद में जम्मू-कश्मीर संविधान सभा ने राज्य के संविधान का निर्माण किया और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश किए बिना खुद को भंग कर दिया, इस लेख को भारतीय संविधान की एक स्थायी विशेषता माना गया।

अनुच्छेद 370 :

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, जो कि एक क्षेत्र है. भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी भाग और कश्मीर के बड़े क्षेत्र का हिस्सा जो 1947 से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है. 17 नवंबर 1952 से जम्मू और कश्मीर को एक राज्य के रूप में भारत द्वारा प्रशासित किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 तक, और अनुच्छेद 370 ने इसे एक अलग संविधान, एक राज्य ध्वज और आंतरिक प्रशासन की स्वायत्तता की शक्ति प्रदान की.

अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान के भाग XXI में "अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान" शीर्षक से तैयार किया गया था, इसमें कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को यह सिफारिश करने का अधिकार होगा कि भारतीय संविधान राज्य पर किस हद तक लागू होगा। राज्य विधानसभा धारा 370 को भी पूरी तरह से निरस्त कर सकती है, ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान की सभी धाराएं राज्य पर लागू होतीं राज्य संविधान सभा बुलाए जाने के बाद, इसने भारतीय संविधान के प्रावधानों की सिफारिश की जो राज्य पर लागू होने चाहिए, जिसके आधार पर 1954 का राष्ट्रपति आदेश जारी किया गया था। चूंकि राज्य की संविधान सभा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश किए बिना खुद को भंग कर दिया था, इसलिए यह माना गया कि यह अनुच्छेद भारतीय संविधान की एक स्थायी विशेषता बन गया है.

5 अगस्त 2019 को, भारत सरकार ने 1954 के आदेश को खत्म करते हुए एक राष्ट्रपति आदेश जारी किया, और भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर दिया। यह आदेश भारत की संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव पर आधारित था. 6 अगस्त को एक और आदेश ने अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर सभी खंडों को निष्क्रिय कर दिया।

जम्मू कश्मीर की समस्या :

एक जनवरी 1948 को जम्मू-कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र गया था. उस साल जम्मू-कश्मीर को लेकर चार प्रस्ताव पास हुए थे. एक प्रस्ताव में कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने की बात भी थी. सीजफायर होने के बाद कश्मीर के जितने हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा हुआ, उसे ही पीओके कहा जाता है.

कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे जटिल समस्या है। स्वतन्त्रता के पश्चात् दो नये राज्य बने, तो देशी रियासतों को स्वतन्त्रता प्रदान की गई कि वह अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में विलय हो सकती

Year-5 Volume: IV, October-December, 2023 Issue-20 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

हैं या स्वतन्त्र रह सकती हैं। अधिकांश रियासतें भारत या पाकिस्तान में मिल गईं। कश्मीर के राजा हरीसिंह ने अपनी रियासत जम्मू-कश्मीर को स्वतन्त्र रखने का निर्णय लिया। राजा हरीसिंह का विचार था कि कश्मीर यदि पाकिस्तान में मिलता है तो जम्मू की हिन्दू जनता और लद्दाख की बौद्ध जनता के साथ अन्याय होगा और यदि वह भारत में मिलता है तो मुस्लिम जनता के साथ अन्याय होगा। अत: उसने यथास्थिति बनाये रखी और विलय के विषय पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास – संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने इस समस्या के समाधान के लिए पाँच राष्ट्रों चेकोस्लावाकिया, अर्जेण्टाइना, अमेरिका, कोलम्बिया और बेल्जियम के सदस्यों का एक दल बनाया, इस दल को मौके पर जाकर स्थित का अवलोकन करना था और समझौते का मार्ग ढूँढ़ना था। दल ने मौके पर जाकर स्थिति का अध्ययन किया तथा अपनी रिपोर्ट में निम्न बातों का उल्लेख किया पाकिस्तान अपनी सेनाएँ कश्मीर से हटाए तथा कबाइलियों और ऐसे लोगों को जो कश्मीर के निवासी नहीं हैं, वहाँ से हटाने का प्रयास करें। जब पाकिस्तान उपर्युक्त शर्तों को पूर्ण कर लेगा तब आयोग के निर्देशों पर भारत भी अपनी सेनाओं का अधिकांश भाग वहाँ से हटा ले। अन्तिम समझौता होने तक युद्धविराम की स्थिति रहेगी और भारत कश्मीर में स्थानीय अधिकारियों के सहयोग के लिए उतनी ही सेनाएँ रखेगा जितनी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा। जनमत संग्रह के प्रयास – रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों में लम्बी वार्ता के बाद 1 जनवरी, 1949 को युद्धविराम के लिए सहमत हो गए। कश्मीर के विलय का निर्णय जनमत संग्रह के आधार पर होना था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनमत संग्रह की शर्तों को पूर्ण करने के लिए एक अमेरिका अधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। प्रशासक ने भारत एवं पाकिस्तान से जनमत संग्रह के आधार पर चर्चा की परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला अतः उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। पाकिस्तान की अमेरिका से सन्धि – पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ना नहीं चाहता था बल्कि उसका दावा भारत के नियन्त्रण में स्थित कश्मीर पर भी था। अत: उसने अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की तथा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका से सन्धि कर अपना पक्ष मजबूत बनाने का प्रयास किया। पाकिस्तान ने सन् 1954 में अमेरिका से सन्धि की और सन् 1955 में वह 'सेण्टो' नामक संगठन का सदस्य भी बन गया। इसका सदस्य बनने से उसे अमेरिका की सहानुभूति प्राप्त हुई। इसके बदले उसे कुछ सामरिक अड्डे भी प्राप्त हुए। इन परिस्थितियों में पं. नेहरू ने कश्मीर नीति में परिवर्तन किया। उन्होंने जब तक पाकिस्तान अपनी सेना नहीं हटा लेता तब तक जनमत संग्रह से मना किया। कश्मीर के प्रश्न पर सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया। इस समर्थन से भारत की स्थिति मजबूत हो गयी। भारत द्वारा जम्मू - कश्मीर को विशेष दर्जा-6 फरवरी, 1954 को कश्मीर की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर जम्मू-कश्मीर राज्य का विलय भारत में करने की सहमति प्रदान की। भारत सरकार ने 14 मई, 1954 को संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया। 26 जनवरी, 1957 को जम्मू-कश्मीर का संविधान लागू हो गया। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया। इसके बाद पाकिस्तान निरन्तर कश्मीर का प्रश्न उठाकर वहाँ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास करता रहा है। पाकिस्तान ने इस मामले को सुरक्षा परिषद् में उठाकर जनमत संग्रह की माँग की। पाकिस्तान

Year-5 Volume: IV, October-December, 2023 Issue-20 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

को इस प्रश्न पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन प्राप्त रहा परन्तु भारत ने इसका विरोध किया। भारत की मित्रता सोवियत संघ के साथ भी थी। अतः सोवियत संघ ने विशेषाधिकार का प्रयोग कर मामले को ठण्डा किया। सन् 1962 में पाकिस्तान ने कश्मीर में पुन: जनमत संग्रह की माँग उठायी परन्तु पुनः सोवियत संघ ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग किया। पाकिस्तान में जितनी सरकारें आयी हैं वे कश्मीर के मुद्दे को जीवन्त रखने का प्रयास करती हैं जबकि भारत के लिए यह मुद्दा उसकी अखण्डता एवं सम्मान का प्रश्न है।

अनुच्छेद 370 के प्रति मीडिया का प्रभाव:

अनुच्छेद 370, जो भारतीय संविधान का हिस्सा था, के समाप्त होने पर मीडिया ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। इस घटना के सम्बंधित समाचार, विश्लेषण और विमर्शों के माध्यम से जनमानस पर व्यापक प्रभाव डाला गया। मीडिया ने लोगों को इस ऐतिहासिक परिवर्तन के परिणाम और कारणों के प्रति जागरूक किया, साथ ही विभिन्न दृष्टिकोणों से इस पर चर्चा की।

टीवी चैनलों ने विशेष कार्यक्रमों, चर्चाओं और डिबेट्स के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण किया। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स ने लोगों को अपने विचार साझा करने का माध्यम प्रदान किया और यहां तक कि आम जनता की राय को सुनने में यह मदद की।

मीडिया ने नागरिकों को समझाया कि अनुच्छेद 370 के समाप्त होने से कैसे राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक दृष्टि से देश में परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने विभिन्न दलों के नेताओं, विशेषज्ञों और आम लोगों को इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।

हालांकि, कुछ लोग मीडिया को उच्चतम दर्जे की सुरक्षा और तात्कालिक घटनाओं की निगरानी में ध्यान देने का आरोप लगा रहे हैं। वे यह भी दावा कर रहे हैं कि कुछ मीडिया ने अफवाहें फैलाने का काम किया और लोगों को गुमराह किया।

इसके अलावा, मीडिया ने अनुच्छेद 370 के समाप्त होने पर जनता के भावनात्मक प्रतिसाद को भी दर्शाया। उन्होंने स्थानीय लोगों की राय, आत्मविश्वास, और आशाएं साझा करने का मंच प्रदान किया और यह बताया कि लोगों के बीच मतभेद और सहमति के विषयों पर कैसे विचार विवाद हो रहे हैं। समाचार प्रदर्शन ने व्यक्तिगत कहानियों के माध्यम से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को मानवीय दृष्टि से देखने का अवसर प्रदान किया, जिससे जनता को गहरे संवेदनशीलता के साथ इस विषय पर विचार करने का अवसर मिला।

इस प्रकार, मीडिया ने अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के संविधानिक और सामाजिक पहलुओं को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे लोगों को सार्वजनिक चर्चा में योजना बनाने और बदलाव की मांग करने का एक सही मंच मिला।

Year-5 Volume: IV, October-December, 2023 Issue-20 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

अनुच्छेद 370 के प्रति मीडिया का सामाजिक बदलाव:

अनुच्छेद 370 के प्रति मीडिया का सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा और विविध रहा है। इसे तीन विभागों में विचार किया जा सकता है:

1. **जागरूकता और विचारशीलता:** मीडिया ने अनुच्छेद 370 के परिवर्तन के संबंध में जनमानस को जागरूक किया है। विश्लेषण, डिबेट, और समाचार रिपोर्टों के माध्यम से उन्होंने लोगों को इस विषय पर सोचने और उस पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है।
2. **सामाजिक विभाजन:** हालांकि मीडिया ने अनुच्छेद 370 के परिवर्तन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान किए हैं, कुछ समयों यह सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सामाजिक विभाजन बढ़ाने का कारण बन गया है। विभिन्न समूहों के बीच मतभेद और आपसी असमंजस को बढ़ा सकता है।
3. **राजनीतिक परिणाम:** मीडिया का प्रभाव राजनीतिक समीक्षा और विमर्शों के माध्यम से भी देखा जा सकता है। यह लोगों को राजनीतिक घटनाओं में सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है और विभिन्न राजनीतिक पक्षों के बीच विचार-विमर्श को बढ़ा सकता है।

सामाजिक मीडिया और न्यूज़ मीडिया का इस प्रकार का सामाजिक प्रभाव यह सुनिश्चित करता है कि व्याकुलित विषयों पर लोगों की ध्यान दखल न करे बल्कि सही और पूर्ण जानकारी के साथ जनता को समझाने का कार्य करता है।

सामाजिक बदलाव:

राजनीतिक समर्थन और विरोध: यह परिवर्तन समाज में राजनीतिक मतभेदों को बढ़ा सकता है, जिससे लोग इस पर विभाजित हो सकते हैं या इसका समर्थन कर सकते हैं। इसने राजनीतिक दलों और संगठनों को नए जम्मू और कश्मीर में अपनी पहचान बनाने का एक अवसर प्रदान किया है।

सामाजिक समावेश: अनुच्छेद 370 के समाप्त होने से जुड़े बदलाव ने जम्मू और कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के साथ और अधिक समावेशी बना दिया है। सामाजिक और आर्थिक संबंधों में बदलाव ने राज्य को एक सशक्त और समृद्धि शील समाज बनाने की दिशा में बदला है।

शिक्षा और रोजगार: नए विकास प्रोजेक्ट्स के आगमन से शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। इससे सामाजिक और आर्थिक सुस्ती की अपेक्षा हो सकती है, जिससे लोगों को और अधिक समृद्धि का लाभ हो सकता है।

सामाजिक समाधान: अनुच्छेद 370 के परिवर्तन ने सामाजिक समाधान में भी परिवर्तन लाया है, जिससे राज्य के निवासियों को एक समान रूप से सामाजिक और आर्थिक अवसरों का लाभ हो सकता है।

Year-5 Volume: IV, October-December, 2023 Issue-20 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

अनुच्छेद 370 के हटाए जाने पर विरोध: समाज में अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ा सकता है, जिससे विभिन्न समूहों के बीच सामाजिक असहमति उत्पन्न हो सकती है।

इन सभी परिवर्तनों ने जम्मू और कश्मीर के सामाजिक संरचना में बदलाव लाने की संभावना बढ़ाई है, जिससे यह राज्य और भी अधिक अनुकूल और समृद्धि शील बन सकता है।

अनुच्छेद 370 की समाप्ति :

सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं. इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है.

5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था, साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू- कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था. केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थीं, सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. 370 हटने के 4 साल, 4 महीने, 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया.

केंद्र ने संविधान सभा की भूमिका निभाई: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि संविधान सभा की अनुपस्थिति में, केंद्र ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की भूमिका निभाई और राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग किया.

राज्य सरकार की कोई सहमति नहीं: संविधान जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में किसी भी कानून में बदलाव करते समय राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य बनाता है. यह ध्यान में रखते हुए कि जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था तब जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और राज्य सरकार की कोई सहमति नहीं थी.

राज्यपाल की भूमिका: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना विधान सभा को भंग नहीं कर सकते थे. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि केंद्र ने जो किया है वह संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है और अंतिम साधन को उचित नहीं ठहराता है.

केंद्र के तर्क:

किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ: केंद्र ने तर्क दिया कि संविधान के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और केंद्र के पास राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की शक्ति थी. केंद्र ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने जो आरोप लगाया है, उसके विपरीत, जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, उसमें कोई "संवैधानिक धोखाधड़ी" नहीं हुई थी.

Year-5 Volume: IV, October-December, 2023 Issue-20 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

निष्कर्ष

अनुच्छेद 370 के परिवर्तन ने जम्मू और कश्मीर के समाज में राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक परिवर्तनों का स्रोत बनाया है। इसने समाज को भारतीय संघ के साथ और अधिक समर्थि बनाया है, लेकिन साथ ही सामाजिक और राजनीतिक विरोधों का भी स्रोत बना है। इससे सामाजिक समाधान और समृद्धि की दिशा में कई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना होगा। इस नए समय के साथ, यह महत्वपूर्ण है कि समाज और नेतृत्व एक साथ काम करें ताकि जम्मू और कश्मीर में समृद्धि, सामाजिक समावेश, और सुरक्षा की स्थिति में सुधार हो सके। दूरस्थ रूप से उदार और सहमति की भावना बनाए रखना, समृद्धि के लिए साझा जिम्मेदारी लेना और समाज में सामंजस्य बनाए रखना अब सबसे महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ सूची

- डॉ. आशा. *जम्मू-कश्मीर सच तो यही है*.प्रभात प्रकाशन: नई दिल्ली. 2019
- कोहली, ऋतू. डॉ. श्यामाप्रसादमुखर्जी और कश्मीर समस्या. प्रभात प्रकाशन: नई दिल्ली. 2021.
- मिश्रा, डॉ.शुभ्रता. धारा-370 मुक्त कश्मीर.वाणीप्रकाशन:नई दिल्ली.2015.
- मलिक,बी.एन. माईईयर्सविदनेहरू: कश्मीर. एलाइडपुब्लिशर्स: नई दिल्ली. 1971.
- पांडेय, अशोक कुमार. *कश्मीर और कश्मीरी पंडित*. राजकमल प्रकाशन: नई दिल्ली. 2020.
- खंडेलवाल, देवेश. *एकात्म भारत का संकल्प*. प्रभात प्रकाशन: नई दिल्ली. 2018.
- Wikipedia.com.
- https://hindicurrentaffairs.adda247.com/article-370-of-indian-constitution-history-and-provisions-2/
- https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49234708
- https://www.aajtak.in/legal-news/story/supreme-court-verdict-on-pleas-challenging-scrapping-of-article-370
- https://en.wikipedia.org/wiki/Article_370_of_the_Constitution_of_India

The Asian Thinker